

प्रेषक,

दिनेश कुमार सिंह-11,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट

लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2019

विषय- जनपद न्यायालय प्रतापगढ़ में न्यायिक अधिकारियों के लिए निर्माणाधीन श्रेणी-5 के 24 नग
आवासों के निर्माण हेतु अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-465/सात-न्याय-9(बजट)-2015-800(64)/2011, दिनांक 24-03-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से जनपद न्यायालय प्रतापगढ़ में न्यायिक अधिकारियों के लिए श्रेणी-5 के 24 आवासों के निर्माण हेतु ₹01093.28 लाख के आगणन पर प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में ₹0517.89 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है । पुनः शासनादेश सं0-160/2016/1984/सात-न्याय-9(बजट)-2016-800(64)/2011, दिनांक 19-07-2016 द्वारा ₹0100.00 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है । पुनः शासनादेश संख्या 99 /2017/140/ सात-न्याय -9(बजट)-2017-800/(64)/2011_दिनांक 10-10-2017 द्वारा ₹0250.00 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है । इस प्रकार अब तक कुल ₹0867.89 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है ।

2- तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत कार्य को पूर्ण करने हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष ₹0 1093.28 लाख के सापेक्ष पूर्व स्वीकृत धनराशि ₹0867.89 लाख को समायोजित करते हुए ₹0100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की अतिरिक्त धनराशि केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु स्वीकृत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- चूंकि उक्त निर्माण कार्य हेतु 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद , कार्यदायी संस्था नामित है । अतः उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके परियोजना प्रबन्धक 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद निर्माण इकाई-5 प्रतापगढ़ को उपलब्ध कराने हेतु निबन्धक उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ को अधिकृत किया जाता है।

2- स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2019 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

3- शासनादेश सं0-465/सात-न्याय-9(बजट)-2015-800(64)/2011, दिनांक 24-03-2015 की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे ।

4- लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, तथा समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

6- प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन विषयक वित्त आय् व्ययक अनुभाग 2 के शासनादेश सं0 बी 2-171 / दस - 2008- 244- 5/2008, दिनांक 21 जनवरी ,2010 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निर्माण एजेन्सी/ सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय- 01-सरकारी रिहायशी भवन-700-अन्य आवास- 01-केन्द्र प्रायोजितयोजनायें - 01-जनपदों में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासों का निर्माण (के0-60/रा0-40, के0*रा0)- 24 वृहत निर्माण कार्य, के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2018/ बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च,2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारो के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(दिनेश कुमार सिंह॥)

प्रमुख सचिव

सं0-44/2019/280(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) 30प्र0, इलाहाबाद ।
- 3- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ ।
- 4- निजी सचिव, अध्यक्ष अवस्थापना मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को मा0 अध्यक्ष के अवगतार्थ।
- 5- जनपद न्यायाधीश प्रतापगढ़ ।
- 6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 7- कोषाधिकारी, कलेक्टेट लखनऊ मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ के माध्यम से।
- 8- निदेशक, ग्लोबल सेल 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ ।
- 9- परियोजना प्रबन्धक 30प्र0 आवास एवं विकास परिषद निर्माण इकाई-5 प्रतापगढ़ ।
- 10- वित्त ई- 12।
- 11- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(राजेश पति त्रिपाठी)

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।